



2026:AHC:62825

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1361 / 2026

वारिश खान

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सिकंदर रजा

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए श्री रूपक चौबे को सुना।
2. यह तृतीय जमानत आवेदन है। प्रथम और द्वितीय जमानत आवेदन को इस न्यायालय ने क्रमशः आदेशों दिनांक 01.03.2023 और 22.09.2025 द्वारा अस्वीकृत कर दिया था।
3. वर्तमान जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता, आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 136/2020 अंतर्गत धारा 396 और 412 आई.पी.सी. तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम, पुलिस स्टेशन - होलागढ़, जिला - प्रयागराज में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक 17.07.2020 से जेल/कारागार में है। आवेदक विधि का पालन करने वाला नागरिक है और उसने सदैव विवेचना में सहयोग किया है और विचारण में उपस्थित रहा है। विचारण बहुत धीमी गति से चल रहा है और इसके जल्द समापन होने के कोई संकेत नहीं हैं। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों द्वारा अनुचित देरी के कारण

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा है। विचारण के समापन में बिलंब के लिए आवेदक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आरोप-पत्र के अनुसार, अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए 22 साक्षियों को परीक्षित करने का प्रस्ताव करता है। आवेदक के विरुद्ध 17.06.2023 को आरोप विरचित किए गए थे। आज तक मात्र तीन अभियोजन साक्षियों का परीक्षण किया गया है। घायल साक्षी का परीक्षण अभी तक विचारण न्यायालय द्वारा की जानी बाकी है। विचारण के समापन में अत्यधिक देरी के कारण आवेदक अनिश्चितकालीन कारावास में है। सह-अभियुक्त फरमान को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1059/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 द्वारा जमानत दी गई है। आवेदक समानता का दावा करता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि 13.03.2026 को विचारण न्यायाधीश की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने के लिए 22 साक्षियों को परीक्षित करना चाहता है। केवल तीन अभियोजन साक्षियों को परीक्षित किया गया है। पीडब्लू-4 विनोद कुमार दिनकर की मुख्य परीक्षा 16.01.2026 को संपन्न हुई। तत्पश्चात, उक्त साक्षी को प्रति परीक्षा के लिए बुलाया गया, हालांकि, उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रति परीक्षा अभिलिखित नहीं की जा सकी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि घायल साक्षी को अभी तक परीक्षित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा हुई अनुचित देरी के कारण आवेदक को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा है। आवेदक पांच वर्ष से अधिक समय से जेल में है। यहां तक कि अभियोजन पक्ष भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह साबित हो कि विचारण में बिलंब आवेदक की किसी गलती के कारण हुई है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आवेदक के 'शीघ्र सुनवाई के अधिकार' का उल्लंघन हुआ है। सह-अभियुक्त फरमान को इस न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, विचारण में बिलंब करेगा या साक्षी को डराएगा। मामले की गुण-दोषों पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **वारिश खान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,

(iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

मार्च 25, 2026

एलबीएम/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।